

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

अपर महानिदेशक (केन्द्रीय),

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,

A-2 श्यामली, राँची।

पटना-15 दिनांक.....

विषय:- श्री संजीत कुमार चौधरी द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत विशनपुर मौजा के खाता संख्या-70, 80, प्लॉट संख्या-1708, 1709, थाना संख्या-245, थाना-पिपरा में NH-106 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.0225 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव श्री संजीत कुमार चौधरी, पिता- श्री दिलीप कुमार चौधरी, ग्राम+पोस्ट+भाया-पिपरा बाजार, जिला-सुपौल द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-189(ई०)/190(ई०) दिनांक-16.05.1994 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। रिटेल आउटलेट के निर्माण के क्रम में 0.0225 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल के प्रवेश एवं निकास पथ पर वृक्ष उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल द्वारा प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0 (शून्य) अंकित किया गया है।

कुल-0.0225 हे० वन भूमि अपयोजन के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-43/2013-FC दिनांक-26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में FRA, 2006 प्रमाण-पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव का Geo Reference Map संलग्न है एवं उसका Shape File Format की सॉफ्ट कॉपी संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है:-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 0.0225 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रु० 9,57,780/- लाख प्रति हे० के दर से रु० 21,550/- (इक्कीस हजार पाँच सौ पचास रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक-01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
4. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
5. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकाय छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007 दिनांक-18.03.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकाय छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि-19/2022...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/श्री संजीत कुमार चौधरी, पिता- श्री दिलीप कुमार चौधरी, ग्राम+पोस्ट+भाया-पिपरा बाजार, जिला-सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि-19/2022...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव से संबंधित LOI, सी०ए० स्कीम एवं पार्ट-V को मंत्रालय के वेब-साइट पर अपलोड करते हुए on-line उद्भूत पार्ट-2 उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 0.0225 ha. forest land for construction of Approach/Exit road to the IOCL retail-outlet on Thana-Pipra, NH-106, Road in District-Rohtas may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:-.....26/4/2022.....

Place:-.....PATNA.....

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:-

अपर सचिव

Official Seal:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार, पटना

